भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 356
उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

अजा/अजजा और कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

356. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 2025-26 के बाद भी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जारी रख रही है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा में सहायता देने में इसकी भूमिका संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए वर्तमान आय सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, जो कई वर्ष पहले निर्धारित की गई थी, जबकि इसकी तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आय सीमा आठ लाख रुपये प्रति वर्ष है और सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आय सीमा को संशोधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित निधि-साझाकरण सूत्र के अंतर्गत, राज्य सरकारों को पहले अपना 40% हिस्सा जारी करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न होने से केंद्र सरकार के 60% हिस्से के वितरण में विलम्ब हो रहा है और क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को संशोधित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का बिना किसी वित्तीय बाधा के इस योजना से लाभान्वित हो सकना सुनिश्चित करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू कर रहा है, जो अनुसूचित जाति (एससी) के पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेंडरी के पात्र छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल

नामांकन अनुपात (जीईआर) में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। वित्त वर्ष 2025-26 के बाद इस योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा उच्च शिक्षा में जनजातीय छात्रों में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करती है।

(ख) से (घ): अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, योजना दिशानिर्देशों में वर्तमान आय मानदंड और वित्तपोषण पैटर्न, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक मान्य है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न (केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच साझाकरण अनुपात) 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10) है। राज्य के 40 % हिस्से के भुगतान के सत्यापन और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से उसकी प्राप्ति के बाद ही, भारत सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक अनुमोदन के बाद, योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अपना 60% केंद्रीय हिस्सा जारी करती है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, वर्तमान निधि साझाकरण अनुपात 75:25 है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 75% राशि जारी करता है। संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने राज्य की 25% हिस्सेदारी जोड़कर छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से, एक ही किश्त में जारी करते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक खुली योजना है तथा मांग पर आधारित है।

*****